कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

पत्रांक–3118 / मी0क्षे0 / 33 / मीरजापुर, दिनांक,फरवरी, 13 – 2024

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन, विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

विषयः– जनपद–सोनभद्र के अन्तर्गत ओबरा वन प्रभाग में पी0एम0जी0एस0वाई0 द्वारा स्वीकृत पैकेज संख्या–यू0पी0 67145 के मार्ग चोपन महलपुर रोड से परसोई वाया खेवन्धा चकुरी ओबरा डैम सम्पर्क मार्ग में प्रभावित 15.567हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 34 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– 1–उ0प्र0 शासन के कार्यालय का पत्र संख्या–121 / 81–2–2024–800(283) / 2023 दिनांक–24.01.2024,
2–मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ के कार्यालय का पत्रांक–1964 / 11–सी दिनांक–29.01.2024,

महोदय,

विषयगत प्रकरण मे संदर्भित पत्रो का अवलोकन करने की कृपा करे। प्रश्नगत प्रकरण मे उ0प्र0,शासन के सन्दर्भित पत्र दिनांक–24.01.2024 द्वारा मांगी गयी वांछित सूचना / आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये है। उक्त के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा ने अपने कार्यालय के पत्र संख्या–1927 / ओबरा / 15 भू0हे0 दिनांक 09.02.2024 **(छाया प्रति संलग्न)** द्वारा वांछित सूचना / आख्या निम्न प्रकार इस कार्यालय को प्रेषित किया हैः–

क0 सं0	अनु सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,उ0प्र0,लखनऊका पत्रांक–121 / 81–2–2024–800 (283) / 2023 दिनांक–24.01.2024 अंकित विवरण जिस पर सूचना / आख्या चाही गयी है।	अनुपालन आख्या
1	इस संबंध में मुझे कहने का निर्देश हुआ है कि क्या प्रस्ताव का पूर्ण परीक्षण कर लिया गया है? 34 वृक्षो का पातन किया जाना अनिवार्य है। प्रकरण का तथ्यात्मक परीक्षण करते हुए युक्तिसंगत प्रस्ताव प्रस्तुत शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।	इस विन्दु के अनुपालन में प्रभागीय कार्यालय ओबरा के पत्रांक–1796 / ओबरा / 15, दिनांक–29.01.2024 द्वारा प्रस्तावक विभाग (अधिशासी अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड लोक निर्माण विभाग सोनभद्र) से अनुरोध किया गया। जिसके कम में प्रस्तावक विभाग द्वारा अपने कार्यालय का पत्रांक–85 / 67145, दिनांक–06.02.2024 मे उल्लेख कया है कि बिषयक प्रस्ताव चेक लिस्ट के अनुसार परीक्षण करने के उपरान्त प्रेषित किया गया है, तथा प्रश्नगत मार्ग मे प्रभावित होने वाले कुल 34 वृक्षो का पातन किया जाना अनिवार्य है।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा द्वारा प्रश्नगत बिन्दु की प्रेषित आख्या एतद्सह संलग्न कर आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(मनीष मित्तल)
मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर।

सख्या– 3118 / अ / समदिनांक।

प्रतिलिपि–प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा को उनके कार्यालय पत्रांक–1927 / ओबरा / 15 भू0ह0 दिनांक 09.02.2024 के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(मनीष मित्तल)
मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर।